Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

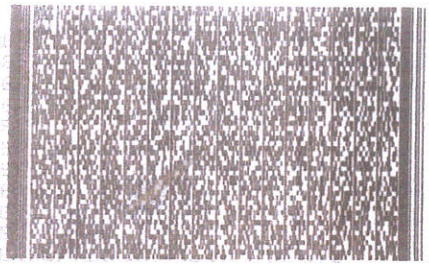

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details	
E-Stamp Code	01010: 1082023014457
Total E-Stamp Amount	1000
Govt. Stamp Duty (Rs.)	1000
Janpad Duty (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	11/08/2023 17:06:38
Service Provider or Issuer Details	SUNIL RAI/SP012942406201700040
SP/SRO/DRO/HO Details	M.N.1 5 WARD NO.10 SHIV MANDIR KE P. RAIS N RAISEN

Municipal...
Upkar Anubur.

Deed Details	
Deed Type	Trust
Deed Instrument	Revocation of- of or concerning any property when made by any will- One thousand rupees.
Purpose	Agreement

First Party Details	
Organization Name	M/s Bhojpur Mahadev Highways Pvt Ltd
Address	Flat no 305 3rd Floor B Block Keelan Dev Towers Bhopal BHOPAL Madhya P. INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details	
Organization Name	Chairman Forest Committee
Address	Village Forest Committee Ratanpur RAISEN Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	2

AGREEMENT

<u>संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समिति के माध्यम से रोड वर्क के उपयोग से बिगड़े वनों का सुधार कार्य अंतर्गत मिश्रित वृक्षारोपण हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध</u>

1/ एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा भोजपुर महादेव हाइवे प्राईवेट लि. (VRS) को नीचे दर्शित मार्गो के निर्माण के विरूद्ध 9077 वृक्ष वन भूमि में एवं वन विभाग द्वारा लगाने हेतु निर्देशित किया है, VRS उसकी लागत वन विभाग को अग्रिम जमा कराये अतः प्रदेश में बिगड़े वनों के पुर्नस्थापना हेतु भोजपुर महादेव हाइवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निधि से पर्यावरण संरक्षण हेतु यह त्रिपक्षीय अनुबंध समस्त पक्षों की सहमति से आज दिनांक १८.०८ 2023 को अनुबंध किया गया है ।

Digitally signed by SUNIL RAI
Date: 2023.08.11 17:06:43 IST

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
वन विकास अभिकरण, रायसेन

0101051108202314457

2/ **अनुबंध में विभिन्न पक्षकारों का विवरण निम्नानुसार है :–**

1. प्रथम पक्ष – भोजपुर महादेव हाइवेज प्राइवेट लिमिटेड फ्लेट नं. 305 तीसरी मंजिल बी ब्लाक कीलन देव टॉवर्स भोपाल (जिस अभिव्यक्ति में जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक तथा प्रशासक कम्पनी के तत्कालीन भागीदार उसके उत्तराधिकारी, सम्मिलित होगें ।)

क्रं.	मार्ग का नाम	मद	रोपित किये जाने वाले पौधा संख्या	प्रोजेक्ट अवधि	प्रोजेक्ट की कुल लागत राशि
1	औ.गंज से भोजपुर रोड	MPRDC	9077	वर्ष 2023–24 से 2029–30	रू. 32,50,000/– (रू.बत्तीस लाख पचास हजार)
2	अमरावत से भारकच्छ रोड				
3	गढी से अहमदपुर रोड				
4	चिकलोद से रतनपुर रायसेन				

2. द्वितीय पक्ष – संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंध समिति रतनपुर परिक्षेत्र पूर्व रायसेन वन मण्डल सामान्य रायसेन जिला रायसेन म0प्र0 की ओर से वन समिति के अध्यक्ष ।
3. तृतीय पक्ष – वन मण्डलाधिकारी एवं पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी वन विकास अभिकरण रायसेन वन मण्डल ।

3/ विभिन्न पक्षों के मुख्य दायित्व निम्नानुसार होगें :–

प्रथम पक्ष का मुख्य दायित्व :–

1. वन क्षेत्र की पुर्नस्थापना हेतु बिगड़े वनो का सुधार कार्य अंतर्गत मिश्रित वृक्षारोपण हेतु कुल 7 वर्ष की रख–रखाब अवधि में कुल राशि रू. 32,50,000/– (बत्तीस लाख पचास हजार रू.) निर्धारित है । जिसमें से रू.18,00,000/– (अट्ठारह लाख रूपये) अनुबंध के समय और शेष रू.14,50,000/– (चौदह लाख पचास रू.) एक वर्ष की अवधि में जमा करेंगे । उपरोक्त का स्वीकृति पत्र तृतीय पक्ष द्वारा समय–समय पर प्रथम पक्षकार को जारी किया जावेगा ।
2. निधियॉ समय पर उपलब्ध कराना ।
3. उपरोक्त 4 मार्ग निर्माण के प्रस्ताव भारत सरकार की अनुमति हेतु लंबित है । F.C.A. के तहत इन प्रकरणों में जो C.A. होगा उसका 9077 पौधो को वन भूमि पर लगाने एवं उसके व्यय से कोई भी संबंध नहीं रहेगा

द्वितीय पक्ष का मुख्य दायित्व :–

1. वन क्षेत्र की पुर्नस्थापना हेतु तय प्राथमिकता अनुसार क्षेत्र चयन करना ।
2. चयनित क्षेत्र हेतु सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार करना, तथा आम सभा से अनुमोदन कराना ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
वन विकास अभिकरण, रायसेन
वन मण्डल रायसेन(सा.)

सचिव
ग्रा.व.स.

3. निधियां प्राप्त होने पर अनुबंध अनुसार कार्य सम्पादन करना, तथा वृक्षारोपण में पौधों की जीवितता 50 प्रतिशत से अधिक से सुनिश्चित कराना ।

तृतीय पक्ष का मुख्य दायित्व :–

1. वन क्षेत्र की पुर्नस्थापना हेतु आवेदक संस्था से प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रस्तावक संस्था को सहमति प्रदान करना ।
2. उपरोक्त 4 मार्ग निर्माण के प्रस्ताव भारत सरकार की अनुमति हेतु लंबित है । F.C.A. के तहत इन प्रकरणों में जो C.A. होगा उसका 9077 पौधो को वन भूमि पर लगाने एवं उसके व्यय से कोई भी संबंध नहीं रहेगा ।
3. वन समिति को सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाने में सहायता करना, तथा सूक्ष्म प्रबंध योजना की स्वीकृति प्रदान करना ।
4. प्राप्त निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करते हुए, वन समिति के माध्यम से वृक्षारोपण कार्य समय से पूर्ण कराना ।
5. वृक्षारोपण को विभागीय वृक्षारोपण मूल्यांकन प्रणाली में पंजीकृत करना, तथा समय–समय पर परिणामों को अद्यतन करना ।
6. वृक्षारोपण से स्थानीय समुदाय पर उसके प्रभाव के संबंध में अध्ययन कर प्रतिवेदन तैयार करना ।
7. प्रस्तावक संस्था को वृक्षारोपण की प्रगति से समय–समय पर अवगत कराना ।

4/ मध्यप्रदेश शासन वन विभाग का आदेश क्रमांक एफ 16–01–2021–दस–2 भोपाल दिनांक 25 नवम्बर 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिगड़े वन क्षेत्रों की पुर्नस्थापना हेतु किये गये प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम पक्ष स्वेच्छा से द्वितीय पक्ष को आबंटित किये गये, बिगड़े वन क्षेत्र की पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण कराने का इच्छुक है ।

प्रथम पक्ष वनक्षेत्र या उसके एक अंश की पुर्नास्थापना/वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन के अनुसार निधियां उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है ।

5/ त्रिपक्षीय अनुबंध का यह प्रलेख इस बात का साक्षी है कि संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित शर्तो पर परस्पर अनुबंध करते हैं :–

द्वितीय पक्ष ग्राम वन समिति रतनपुर को आवंटित वन कक्ष क्रमांक आर.एफ.–358 जिसका कुल क्षेत्रफल 549.1 हेक्टेयर है, में से कक्ष क्रमांक आर.एफ.–358 के 15 हेक्टेयर में घेराव एवं 10 हेक्टेयर

NOTARY Raisen Bhaiya Lal Kushwah M.P. GOVT. OF (INDIA)

सत्य प्रतिलिपि

मुख्य कार्यपालन अधिकारी वन विकास अभिकरण, रायसेन

VRS Bhojpur Mahadev Highway Authorised Signatory

अध्यक्ष

सचिव

ग्रा.व.स.

क्षेत्रफल में पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण का कार्य संपादित करने हेतु सभी पक्ष सहमत है ।

2. तृतीय पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष की आमसभा की बैठक आयोजित कर पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी ।

3. किसी भी पक्ष द्वारा वनक्षेत्र में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा जिससे स्थानीय समुदाय के अधिकारों एवं वन आधारित आजीविकाओं पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़े ।

4. किसी भी पक्ष द्वारा वन क्षेत्र में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, प्रचलित वन अधिनियमों एवं नियमों के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया जायेगा ।

5. द्वितीय पक्ष द्वारा पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण की परियोजना में वनक्षेत्र में पाई जाने वाली प्राकृतिक रूप से उग रही प्रजातियों का संरक्षण किया जायेगा । वृक्षारोपण में स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता दी जायेगी । विदेशागत (Exotic) प्रजातियों का रोपण प्रतिबंधित रहेगा।

6. प्रथम पक्ष को वनक्षेत्र या वनोपज पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा । निधियों उपलब्ध कराने के एवज में प्रथम पक्ष को कार्बन क्रेडिट उपयोग करने का अधिकार होगा ।

7. कार्यो के निरीक्षण एवं देखभाल के लिये प्रथम पक्ष को संबंधित वन क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार होगा ।

8. तृतीय पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि वन क्षेत्र में अतिक्रमण अथवा किसी भी प्रकार की गैरवानिकी गतिविधियां संचलित न हो ।

9. प्रथम पक्षकार के चयनित कक्ष कमांक बिगड़े वन क्षेत्र के उपचार हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा वन विभाग की स्थानीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, सूक्ष्म प्रबंध योजना का निर्माण कराया जायेगा, जिसकी प्रकिया में प्रथम पक्ष की सहभागी के रूप से भाग ले सकेगा ।

10. सहभागी प्रकिया से तैयार की गई, सूक्ष्म प्रबंध योजना का अनुमोदन वनसमिति के आमसभा से द्वितीय पक्ष द्वारा प्राप्त किया जायेगा, तृतीय पक्ष द्वारा सूक्ष्म प्रबंध योजना की स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।

11. प्रथम पक्ष को परामर्श में शामिल करके चयनित क्षेत्र के उपचार हेतु, स्वीकृत सूक्ष्म प्रबंध योजना के प्रावधानों के अनुसार विस्तृत

सचिव

परियोजना प्राक्कलन तृतीय पक्ष द्वारा तैयारकर उसकी तकनीकी स्वीकृति जारी की जावेगी ।

12. वृक्षारोपण करने के लिए प्रथम वर्ष में क्षेत्र तैयारी एवं उसके भाग कम से कम चार वर्ष तक वृक्षारोपण के रखरखाव के कार्य का प्रावधान करने का उत्तर दायित्व तृतीय पक्ष का होगा ।

13. वनक्षेत्र की स्थिति एवं वर्तमान में वन की स्थिति को दर्शाने वाला डिजिटल मानचित्र एवं अनुमोदित उपचार योजना तृतीय पक्ष द्वारा प्रथम एवं द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराई जायेगी ।

14. प्रथम पक्ष द्वारा प्राक्कलन के अनुसार पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण कार्य संपादन हेतु निर्धारित राशि अनुबंध के लागू होने के एक वर्ष की अवधि के अंदर वनमंडल स्तर पर वन विकास अभिकरण के खाते में इलेक्ट्रानिक रीति से जमा कराई जायेगी । तृतीय पक्ष द्वारा कार्य संपादन हेतु राशि द्वितीय पक्ष के विकास खाते में जमा कराई जायेगी । तथापि प्रथम पक्ष चाहे तो तृतीय पक्ष को सूचना देते हुये द्वितीय पक्ष के खाते में सीधे राशि अंतरित कर सकेगा ।

निर्धारित अवधि में राशि उपलब्ध नहीं कराने पर अनुबंध को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अध्यक्ष वन विकास अभिकरण के समक्ष तथा द्वितीय अपील राज्य वन विकास अभिकरण को प्रस्तुत की जा सकेगी, जिसका निर्णय सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा ।

15. द्वितीय अथवा तृतीय पक्ष द्वारा इस अनुबंध के लागू होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि अंदर अनुबंध के अनुरूप रोपण का कार्य संपादित नहीं किया जाता है तो द्वितीय/तृतीय पक्ष द्वारा सम्पूर्ण मूल राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज प्रथम पक्ष को वापस की जायेगी ।

16. द्वितीय पक्ष को प्राप्त निधियों के संदर्भ में वन समिति के विकास खाते का नियमानुसार अंकेक्षण किया जायेगा एवं पारदर्शिता हेतु उसकी एक प्रति सभी पक्षों को उपलब्ध कराई जायेगी । निधियों के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति के निराकरण हेतु तृतीय पक्ष द्वारा कार्यवाही की जायेगी ।

17. स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार पुर्नस्थापना/वृक्षारोपण कार्य का सम्पादन द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार कराया जायेगा ।

सचिव

18. द्वितीय पक्ष द्वारा कार्यो एवं व्यय के संबंध में विस्तृत विवरण त्रैमासिक रूप से वन समिति की कार्यकारिणी की आमसभा में प्रस्तुत एवं आमसभा से अनुमोदन पश्चात् वन विकास अभिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

19. द्वितीय पक्ष द्वारा यथा संभव स्थानीय मजदूरों को कार्य में लगाया जायेगा तथा स्थानीय संसाधनों का ही उपयोग किया जायेगा।

20. द्वितीय पक्ष द्वारा उपचार स्थल पर एक पटल लगाया जायेगा जिसमें वनों की वैधानिक स्थिति, कार्य का विवरण, लागत तथा निधियां उपलब्ध कराने वाले प्रथम पक्ष का नाम एवं वन समिति का नाम अंकित किया जायेगा ।

21. कार्य के दौरान एवं कार्य समापन के पश्चात् वनक्षेत्र की अग्नि, अवैध कटाई, एवं अवैध चराई से सुरक्षा का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा ।

22. पुर्नस्थापन/वृक्षारोपण के रख–रखाव के दौरान साफ–सफाई एवं विरलन से प्राप्त समस्त वनोंपज पर द्वितीय पक्ष का अधिकार होगा।

23. पुर्नस्थापन/वृक्षारोपणकार्य का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सहभागी प्रक्रिया एवं वन विभाग की निर्धारित मानक रीति से किया जायेगा, जिसमें अनुबंध में शामिल तीनों पक्ष भाग लेगें ।

24. तृतीय पक्ष द्वार वृक्षारोपण को विभागीय वृक्षारोपण मूल्यांकन प्रणाली में पंजीकृत कर निर्धारित अवधि में इसके परिणाम को अद्यतन किया जायेगा ।

25. तृतीय पक्ष द्वारा कार्य समापन उपरांत वृक्षारोपण कार्य के मूल्यांकन का प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा, जिसमें वृक्षारोपण की स्थिति एवं स्थानीय समुदाय पर उसके प्रभाव का आंकलन भी किया जायेगा।

26. तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् वृक्षारोपण में रोपित पौधों की जीवितता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर ही रोपण को सफल माना जायेगा।

27. इस त्रिपक्षीय अनुबंध की अवधि अनुबंध दिनांक से सात वर्ष होगी । आवश्यकता होने पर सभी पक्षों की सहमति से अनुबंध की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी ।

28. मध्यप्रदेश राज्य से लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उसके अधीन बनाए गए

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
वन विकास अभिकरण, रायसेन

सचिव
ग्रा.व.स.

नियमों के उपबंधों का पालन करने के लिए प्रथम पक्ष हर समय प्रतिबद्ध होगा।

29. इस अनुबंध के अधीन उद्भूत होने वाला कोई विवाद मध्यप्रदेश स्थित सक्षम न्यायालय की अधिकारिता के अध्यधीन होगा, जिसके साक्ष्य में, इसमें लिखित दिनांक को प्रथम पक्ष ने यहां अपने हस्ताक्षर किए है तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है तथा ऊपर लिखित द्वितीय एवं तृतीय पक्ष ने हस्ताक्षर किए है ।

NOTARY
Raisen
Bhaiya Lal Kushwah
M.P. GOVT. OF (INDIA)

प्रथम पक्षकार	द्वितीय पक्षकार	तृतीय पक्षकार
मे. भोजपुर महादेव हाइवेज प्राइवेट लि. फ्लेट नं. 305 तीसरी मंजिल बी–ब्लाक कीलनदेव टॉवर्स भोपाल	अध्यक्ष वन समिति ग्राम वन समिति रतनुपर	वनमण्डलाधिकारी एवं पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी वन विकास अभिकरण रायसेन

VRS Bhojpur Mahadev Highways Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

सचिव
ग्रा.व.स. ....

This document is executied my presence by within all attested
18/8/23
BHAIYA LAL KUSHWAH
NOTARY/ADVOCATE
RAISEN (M.P)

सत्य प्रतिलिपि